

आदेश से रीडर

10/5/17 पत्रावली केम्प कोर्ट / न्याय आपके द्वारा मे
प्रस्तुत हुई। तहसीलदार से कंटवाडा प्रस्ताव
आप्त हुआ। बात: अंतिम डिडी जारी हो जाय
पत्रावली केसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
डिडी रुधनु से लिखी ~~अनुपस्थित~~ गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
जोन ग्राहक केसलदार, भीमनाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रतिभा, डिंडी

29/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:- उममेद सिंह राजावत आर०ए०एस०

प्रतिवादी

तहसीलदार श्रीलवाडा

उनवान

- 1 श्री गीतान सुखलाल सुखलाल विरनोई निवासी पुर
 - 2 श्रीमती नानू बाई पत्नी स्व. सुखलाल विरनोई पुर
- | | वनाम | वादीगण |
|---|---|--------|
| 1 | श्री भंवरलाल पुत्र उगम लाल उर्फ उगमचंद विरनोई बोरपु | |
| 2 | " शक्ति लाल पुत्र | " |
| 3 | " भवण पुत्र | " |
| 4 | " केसर बाई पुत्री | " |
| 5 | तहसीलदार श्रीलवाडा। | |
| 6 | उपपत्नीपत्र श्रीलवाडा | |

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 58, 59 पंच 18/12/15

मुकदमा नम्बर :- 29/15

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1.8.16 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम डिक्री के लिये पेश होने पर आदेश दिये जाता है और डिक्री दी जाती है, कि-

ग्राम 94 आडुवा के आराजी नम्बर 58, 59 इलाका 04 की धारा 12 विरता मिडस एवं बडेडस के उलुसार अलवाडा एप्रस्ताल तैयार कर भिजावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 1.8.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

लगाकर दी गई।